96/2021

13.12.22 वादी वकील अनुपस्थित। वादिगण स्वयं भी उपस्थित नहीं हुए।

आज न्यायालय समय से लगभग 2 तीन बार आवाजें लगाई गई एवं अदालत उठने से पूर्व कम से कम 5 बार आवाजें लगाई गई के उपरान्त भी वादीगण एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे वाद में पैरवी नहीं करना चाहते हैं।

लिहाजा वादीगण एवं उनके वकील को अनुपस्थित मानते हुए वाद बही स्तर पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी से खारिज किया जाता है।

पश्चात् डिक्री डिग्री तैयार हो।

(ह) 13/12/2022

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:11:59 IST
Reason: SelfAttested